कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री अनिल संत, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :– **सर्वश्री वीजन डिस्टीब्यूशन प्रा0लि0, हिंडन रिवर मिल्स कम्पाउन्ड, हिंडन नगर, डासना, गाजियाबाद ।**

प्रा0प0सं0– **।4 / 2009**

प्रार्थी की ओर से– **श्री शिव कुमार, फर्म अधिवक्ता**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अन्तर्गतनिर्णय

।– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 04–03–2009 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा कम्पयूटर व उसके peripherals मानीटर पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है ।व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि कम्पयूटर के पार्टस उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2–ख–क्रमांक–22 में आने के कारण 4प्रतिशत की दर से करयोग्य होनी चाहिए। उक्त प्रविष्टि निम्नवत् है :–

22	Computer system and peripherals, Electronic Diaries.

व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि मानीटर कम्पयूटर का ही peripherals है अतः उपरोक्तानुसार उपरोक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत करयोग्य होना चाहिए।

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद से पत्र संख्या–1879 दिनांक ।7–02–09 से आख्या मांगी गयी जो प्राप्त नहीं हुयी है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री शिव कुमार गुप्ता, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4– मैनें व्यापारी के धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया और पाया गया कि कम्पयूटर के मानीटर का उपयोग कम्पयूटर के डेटा को देखने के काम आता है अतः यह एक प्रकार की डिस्पले डिवाइस है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2–ख–क्रमांक–2। के अन्तर्गत उक्त को वर्णित किया गया है। अनुसुची–2–ख–क्रमांक–2। की प्रविष्टि निम्नवत् हैः–

21	Liquid Crystal Devices, flat panes display devices and parts thereof.

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची–2–ख–क्रमांक–2। को शासनादेश संख्या–2758 दिनांक 29–9–08 द्वारा विलोपित कर दिया गया था तथा पुनः संशोधन दिनांक 15–1–09 के पश्चात उक्त प्रविष्टि पुनः उसी स्थान पर प्रतिस्थापित कर दी गयी । अतः दिनांक 29–9–08 से दिनांक 15–1–09 के मध्य उपरोक्त अनुसुची–2–ख–क्रमांक–2। के विलोपित होने के कारण उपरोक्त अवधि में कम्पयूटर मानीटर अवर्गीकृत होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य रहेगे तथा दिनांक 15–1–09 के पश्चात उपरोक्त पर 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगे।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय

दिनांक :: 20 मार्च, 2009

ह0 / 20–3–09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।